Fax: (05452) 252244, 252344Web : www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,
कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक पु.वि.वि. / सम्बद्धता / 03(एक) / 2018 / 1851
दिनांक 16.11.18

सेवा में,
प्रबन्धक,
रेशमी कालेज आफ टीचर एजुकेशन
अटरिया, धरम्मरपुर, गाजीपुर।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे शासनादेश संख्या– 1103 (1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014 दिनांक–01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व मे संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यकमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्वता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के कम मे **रेशमी कालेज आफ टीचर एजुकेशन, अटरिया घरम्मरपुर, गाजीपुर** को **स्नातक स्तर** पर **शिक्षा संकाय** के अन्तर्गत **बी0एड0** पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय) मे 100 सीटों (02 यूनिट) की प्रवेश क्षमता सहित **सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी द्वारा** निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2018 से स्थायी सम्बद्वता** की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:–

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसगत दिशा–निर्देशों एव इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश सख्या– 5125/70–2–2005–2(166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन/एन0सी0टी0ई0 जयपुर द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा मे सम्मिलित एवं काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एव मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि आदि में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16 (33)/2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के कम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेंगे।
8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. **A.I.S.H.E.** के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन समस्त अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।
10. सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क का भुगतान अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।
11. **N.C.T.E** के मूल पत्र के सत्यापन के अन्तर्गत।
12. महाविद्यालय समय–समय पर शासन/एन0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करेगा।
13. महाविद्यालय उपरोक्त समस्त निर्देशों का पालन करेगा अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय,
16.11.18
कुलसचिव

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारत सरकार। जी–7 सेक्टर–10 द्वारका नई दिल्ली–110075।
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. अधीक्षक (शैक्षणिक) कार्यपरिषद की आगामी बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
7. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।